रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2004/आषाढ़ 10, 1926

No. 586] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2004/ASADHA 10, 1926

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2004

का. आ. 753(अ).—केन्द्रीय सरकार जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 जुलाई, 2004 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं प्रवृत्त होंगी, अर्थात् :—

(1) धारा 3 से धारा 7 (दोनों सम्मिलित);

(2) धारा 18 से धारा 47 (दोनों सम्मिलित);

(3) धारा 49 से धारा 53 (दोनों सम्मिलित);

(4) धारा 55 से धारा 58 (दोनों सम्मिलित);

(5) धारा 60 एवं धारा 61।

[फा. सं. जे.-22018/46/2003-सीएससी (बीसी)]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2004

S.O. 753(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2004, as the date on which the following Sections of the said Act shall come into force, namely :—

(1) sections 3 to 7 (both inclusive);

(2) sections 18 to 47 (both inclusive);

(3) sections 49 to 53 (both inclusive);

(4) sections 55 to 58 (both inclusive);

(5) sections 60 and 61.

[F. No. J-22018/46/2003-CSC (BC)]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

2017 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.